संख्या: 05/2021/139/46-1-21-20(02)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 27 जनवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद्, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:149/लेखा-बजट, दिनांक 23-12-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद के पत्र दिनांक 20-11-2020 के साथ आवश्यक निमार्ण एवं विशेष मरम्मत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन के आधार पर धनराशि रू.158.757 लाख (रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पचहत्तर हजार सात सै मात्र) की कार्ययोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्यय में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत 'आवश्यक निर्माण एवं विशेष मरम्मत' मद में उ.प्र. गन्ना शोध परिषद एवं सम्बद्ध शोध केन्द्र/संस्थान हेतु संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था से कराने हेतु, उपलब्ध कराये गये प्राक्कलन/आगणन के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 के प्राविधानों के अनुसार प्रशासकीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

(1) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को कराने हेतु, कार्य के सम्मुख निर्दिष्ट कार्यदायी संस्था होगी तथा उन्हें वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 एवं शासनादेश संख्या-ए-2-1606/दस-2011-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

17(4)/75, 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार सेंटेज चार्जेज (यथा निर्दिष्ट दर से) की धनराशि अनुमन्य होगी।

(2) संलग्नक में उल्लिखित कार्यों को मानक के अनुसार पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए, समस्त कर्य वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति के पूर्व अर्थात दिनांक 31.03.2021 के पूर्व, पूर्ण कराते हुए स्थानीय निरीक्षण आख्या सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र, गन्ना आयुक्त, उ.प्र. के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) संलग्नक में उल्लिखित समस्त कार्यों को, निविदा एवं निर्माण सम्बन्धी सुसंगत नियमों/शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार पूर्ण कराये जाने/नियमित अनुश्रवण किये जाने का दायित्व, निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर का होगा।

सलंग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या: 05/2021/139(1)/46-1-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
2. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहॉपुर।
3. मुख्य अभियंता, अभियंत्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
8. गार्ड फाइल ।

सलंग्नकः-यथोपरि।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

शासनादेश संख्या: 05/2021/139/46-1-2021, दिनांक 27 जनवरी, 2021 का संलग्नक

(धनराशि रू. लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	कार्य की कुल लागत प्राक्कलन के आधार पर (लाख रू. में)	निर्माण एजेन्सी का नाम
1	2	3	4
क	(शाहजहॉपुर)		
1	कृषि उपकरण शेड	12.68	गन्ना विकास विभाग
2	मेन रोड़ से आवासीय कालोनी में इंटर लॉकिंग-315 मीटर एवं नयी प्रयोगशाला तक सोलिंग रोड़-350 मीटर का निर्माण	20.86	गन्ना विकास विभाग
3	वाहन पार्किंग शेड का निर्माण	13.13	गन्ना विकास विभाग
4	नये व पुराने गेस्टहाउस की मरम्मत/ अनुरक्षण कार्य	20.41	गन्ना विकास विभाग
	योग (क)	67.08	
ख	सेंवरही		
1	साइकिल स्टैण्ड का निर्माण	9.92	गन्ना विकास विभाग
2	बाउन्ड्रीवाल का निर्माण-300 मीटर	16.74	गन्ना विकास विभाग
3	विशिष्ट अतिथि गृह के अग्रभाग की विशेष मरम्मत एवं रंगाई पुताई	3.661	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
4	प्रक्षेत्र कार्यालय में टॉयलेट निर्माण एवं फर्श में टाईल्स का कार्य	5.232	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
5	प्रक्षेत्र गोदाम (1) की विशेष मरम्मत	4.767	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
6	प्रक्षेत्र स्टोर एवं गैराज की विशेष मरम्मत	7.41	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
7	जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु	4.279	सहायक अभियंता, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद
	योग (ख)	52.009	
ग	मुजफ्फरनगर		
1	अतिथि गृह के भूतल पर टाईल्स का कार्य	2.75	गन्ना विकास विभाग

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

2	खलिहान का निर्माण	6.38	गन्ना विकास विभाग
	योग (ग)	9.13	
घ	गोला-खीरी		
1	मुख्य गेट नम्बर-1 से जे ब्लॉक तक सड़क का निर्माण	30.538	गन्ना विकास विभाग
	योग (घ)	30.538	
	महायोग (क से घ)	158.757	

(रूपये एक करोड़ अट्ठावन लाख पचहत्तर हजार सात सै मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है